08.08.2023

पत्रावली पेश। पुकारा गया, पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है।

पत्रावली वर्ष 1999 से लंबित चली आ रही है और इस न्यायालय में 2 विद्वान विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर के वादों की पैरवी हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं, लेकिन कोई भी साक्षी आज तक परीक्षित नहीं करा सके हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान विशेष लोक अभियोजक को आदेशित किया जाता है कि वे नियत तिथि पर अपने साक्षी न्यायालय में साक्ष्य हेतु पेश करें।

आदेश की एक प्रति विशेष लोक अभियोजक को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराई जाए कि वे जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को वर्तमान पत्रावली के तथ्यों से अवगत करायें।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक–25.08.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–6/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), प्रतापगढ़।

Digitally signed by KUNDAN KISHORE
Date: 2023.08.08 16:34:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court